न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3433–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–13 पारित द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल प्रकरण क्रमांक 298/10–11/अपील.

———

जमुनाप्रसाद सराफ आत्मज मंगलप्रसाद सराफ
निवासी किरण टॉकीज के पास,
शहडोल म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– मनोहरलाल आत्मज बाबूलाल सराफ (मृत) वारिसान –

अ– श्रीमती आशा पत्नी स्व. मनोहरलाल
ब– शैलेन्द्र उर्फ शीलू पुत्र स्व. मनोहरलाल
स– नीरज पुत्र स्व. मनोहरलाल
द– राहुल पुत्र स्व. मनोहरलाल

2– गोरी सराफ आत्म्जा बाबूलाल सराफ

3– सुनील सराफ आत्मज बाबूलाल सराफ

4– गणेश सराफ आत्मज बाबूलाल सराफ

सभी निवासी वार्ड नं. 26, सिंधी बाजार, गुरूद्वारा,
के पास शहडोल, तह. सोहागपुर जिला शहडोल

5– प्रेमकुमार मिश्रा हल्का पटवारी नं. 76
तह. सोहागपुर नि. एस.पी. बंगला के पीछे,
शहडोल तह. सोहागपुर जिला शहडोल,

6– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, शहडोल ——— अनावेदकगण

———

श्री मुकेश बेलापुरकर, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता अनावेदक क्र0 1 से 5.
श्री डी.के. शुक्ला, पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्र. 5 एवं 6.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक

अपील 297 / 10–11 में पारित आदेश दिनांक 30.7.13 से असंतुष्ट होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक जमुनाप्रसाद द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 37 पर तहसीलदार, सोहागपुर द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 30.12.10 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16–5–11 द्वारा प्रारंभिक सुनवाई में खारिज की । द्वितीय अपील आयुक्त, शहडोल संभाग ने आदेश दिनांक 30–7–13 द्वारा खारिज की गई है । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक सहखातेदार होकर वास्तविक आधिपत्यधारी है, किंतु तसीलदार ने नामांतण पंज में आवेदक के पीठपीछे नामांतरण आदेश पारित किया है । नामांतरण की कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अनुसार नही की गई है और ना ही आवेदक को सूचनापत्र दिया गया है । उनका यह भी तर्क है कि आयुक्त द्वारा अपील दिनांक 6–6–11 को ग्राह्य की गई और तत्पश्चात आदेश दिनांक 30–7–13 द्वारा गुणदोष पर विचार किये बिना अपील खारिज करने में त्रुटि की गई है । यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक का विवादित भूमि पर काफी समय पूर्व से कब्जा चला आ रहा है । अपीलीय न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किए हैं । अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके पिता बाबूलाल सराफ राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के सहभूमिस्वामी अंकित थे । बाबूलाल सराफ की मृत्यु के बाद अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 का वारिसाना नामांतरण तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । राजस्व पदाधिकारी द्वारा नामांतरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जांच के पश्चात किये जाते हैं । अनावेदकों के पिता के स्थान पर उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है जो विधि अनुसार है । नामांतरण स्वत्व के आधार पर किया जाता है नाकि कब्जे के आधार पर । यदि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर कोई स्वत्व प्राप्त है तो उन्हें

सिविल न्यायालय से स्वत्व घोषित कराना चाहिए । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5— अनावेदक क. 4 एवं 5 के द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

6— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पिता स्व. बाबूलाल थे और बाबूलाल की मृत्यु के उपरांत अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का नामांतरण किया गया है, जिसमें कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है । आयुक्त का यह निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है कि आवेदक एवं अनावेदक के पिता सहखातेदार हैं तथा बाबूलाल की मृत्यु होने पर उनके वारिसों का नामांतरण किया गया है, उक्त आदेश से किसी पक्ष को कोई क्षति नही हो रही है । बाबूलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिसों को नामांतरण किया गया है जिससे अनावेदक को कोई क्षति नहीं हो रही है । वारिसाना नामांतरण से आवेदक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । जहां तक आवेदक का यह तर्क कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है, इस संबंध में अभिलेख में कोई प्रमाण नहीं है वैसे भी कब्जे के आधार पर आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है कब्जे के आधार पर स्वत्व निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । यदि आवेदक कब्जे के आधार पर कोई सहायता चाहते हैं तो वह सक्षम न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) से अपना स्वत्व प्रमाणित कराने के लिए स्वतंत्र हैं । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं और उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—7—13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर